

संख्या-<sup>40</sup>/एक-10-2026

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

औरैया, मथुरा, सम्भल, ललितपुर, बुलन्दशहर एवं जालौन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 13/04/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में ओलावृष्टि से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों/कृषकों को राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू० 17,95,00,000.00 (रूपए सत्रह करोड़ पच्चात्तबे लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के नियर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

| क्र० सं० | जनपद  | आपदा का प्रकार/मद                                                   | स्वीकृत की जा रही धनराशि (रू० में) |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2     | 3                                                                   | 4                                  |
| 1        | औरैया | ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (05) | 35,00,000.00                       |
| 2        | मथुरा | ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (05) | 10,00,00,000.00                    |
| 3        | सम्भल | ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (05) | 10,00,000.00                       |

|                                         |           |                                                                     |                 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4                                       | ललितपुर   | ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (05) | 2,00,00,000.00  |
| 5                                       | बुलन्दशहर | ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (05) | 50,00,000.00    |
| 6                                       | जालौन     | ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (05) | 5,00,00,000.00  |
|                                         | कुल       |                                                                     | 17,95,00,000.00 |
| (रूपए सत्रह करोड़ पच्चात्तबे लाख मात्र) |           |                                                                     |                 |

#### नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

|                                        |           |                                                                     |                 |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4                                      | ललितपुर   | ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (05) | 2,00,00,000.00  |
| 5                                      | बुलन्दशहर | ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (05) | 50,00,000.00    |
| 6                                      | जालौन     | ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (05) | 5,00,00,000.00  |
|                                        | कुल       |                                                                     | 17,95,00,000.00 |
| (रूपे सत्रह करोड़ पचचान्नवे लाख मात्र) |           |                                                                     |                 |

#### नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दर्रे निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग / उपभोग / समर्पण / वितरण के सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता / लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1- 11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹ 17,95,00,000.00 (रूपए सत्रह करोड़ पच्चात्तबे लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000605 ओलावृष्टि से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फंड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(कुलदीप सिंह)

उप सचिव।

संख्या-५०१(१)/एक-१०-२०२६, तद्विनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० प्रयागराज।
- २- सम्यन्धित मण्डलायुक्त, ३०प्र०।
- ३- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, ३०प्र०, लखनऊ।
- ४- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ५- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, ३०प्र० शासन।
- ६- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, ३०प्र०।
- ७- सम्यन्धित जनपद के कौषाधिकारी/मुख्य कौषाधिकारी, ३०प्र०।
- ८- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-५
- ९- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(सुशील कुमार)  
अनु सचिव।



## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027  
आवंटन दिनांक-13/04/2026

प्रेषण संख्या:- 401  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-401  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)  
05 - ओलावृष्टि राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय  
(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                |                    | 42-अन्य व्यय           | योग                    |
|-------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1     | बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>5000000     | 5000000<br>5000000     |
| 2     | मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 100000000<br>100000000 | 100000000<br>100000000 |
| 3     | जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 50000000<br>50000000   | 50000000<br>50000000   |
| 4     | ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--   | वर्तमान<br>प्रगामी | 20000000<br>20000000   | 20000000<br>20000000   |
| 5     | औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 3500000<br>3500000     | 3500000<br>3500000     |
| 6     | सम्भल-4217-जिलाधिकारी , --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 1000000<br>1000000     | 1000000<br>1000000     |
|       | योग                                | वर्तमान<br>प्रगामी | 179500000<br>179500000 | 179500000<br>179500000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया सत्रह करोड़ पंचानवे लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया सत्रह करोड़ पंचानवे लाख

(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी